



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 31/2025

दिनांक: 04.07.2025

अधीक्षक की श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री अनीश भल्ला	15.07.1987	पदोन्नति पर	सीपीसी, जयपुर (सीजीएसटी, अलवर से ऋण आधार पर – AGT-2026 तक)

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 04.07.2025 (अपराह्न) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए स्थान पर कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., जयपुर/ अलवर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. सम्बंधित स्टाफ एसोसिएशन।
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।